प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI – 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 04.03.2026

सार्वजनिक सूचना संख्या - 78/2025-26

विषय: सार्वजनिक सूचना संख्या 17/2022-23 दिनांक 30.03.2023 के संबंध में स्पष्टीकरण।

आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क ब्रोकर तथा अन्य सभी संबंधित हितधारकों का ध्यान आयुक्तालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 17/2022-23 दिनांक 30.03.2023 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि CBIC परिपत्र संख्या 07/2020-शुल्क दिनांक 05.02.2020 से व्युत्पन्न है।

2. सार्वजनिक सूचना संख्या 17/2022-23 दिनांक 30.03.2023 के माध्यम से आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-III के अधिकार क्षेत्र में पुरानी एवं प्रयुक्त मशीनरी/वस्तुओं आदि के निरीक्षण/परीक्षण तथा तकनीकी अभिमत प्रदान करने हेतु चार्टर्ड इंजीनियरों (C.E.) को पैनल में शामिल किया गया था।

3. उक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 में पैनल में शामिल चार्टर्ड इंजीनियरों (कंपनी/फर्म/व्यक्ति) की सूची दी गई है, जिनके नाम के सामने उनकी विशेषज्ञता (यांत्रिक, सिविल, पॉलिमर, रासायनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं नियंत्रण, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग) का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया गया है कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुंबई में पुरानी एवं प्रयुक्त मशीनरी के आयातक पैनल में शामिल किसी भी चार्टर्ड इंजीनियर/निरीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

4. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि CBIC परिपत्र संख्या 07/2020 - सीमा शुल्क दिनांक 05.02.2020 के पैरा 3 में कहा गया है कि पुरानी मशीनरी की आयु का निर्धारण एक इंजीनियरिंग प्रक्रिया है और यह केवल किसी योग्य इंजीनियर द्वारा ही किया जा सकता है। आगे पैरा 4.9 में यह भी उल्लेखित है कि आयातक को संबंधित श्रेणी के माल, यदि आवश्यक हो, के लिए कस्टम हाउस द्वारा पैनल में शामिल किसी भी चार्टर्ड इंजियर का चयन करने की स्वतंत्रता होगी।

5. **आयातक/कस्टम ब्रोकर्स पैनल में शामिल ऐसे किसी भी चार्टर्ड इंजीनियर की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिनकी विशेषज्ञता/दक्षता उस अभियांत्रिकी क्षेत्र में हो जो प्रमाणन हेतु आवश्यक आयातित माल के वर्ग/प्रकार से संबंधित हो। सक्षम चार्टर्ड इंजीनियर के चयन का विकल्प** पूर्णतः आयातक/कस्टम ब्रोकर्स के विवेक पर **निर्भर करेगा, जिसे अस्वीकृति से** बचने के लिए सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. **यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे** अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क, तकनीकी (आयात), एसीसी, मुंबई के संज्ञान में **ईमेल** (pro.acc-sahar@gov.in) के माध्यम से लाया जा सकता है। सहायता, स्पष्टीकरण एवं जानकारी हेतु

संबंधित आयातक हमारे हेल्प डेस्क, टीएसके (तुरंत सुविधा केंद्र) से ईमेल (tsk.accmumbaizone3@gov.in) अथवा दूरभाष संख्या 022-26816696 पर संपर्क कर सकते हैं।

(मनीष चन्द्रा)
प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (आयात),
हवाई माल परिसर, मुंबई।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई सीमा शुल्क ज़ोन -III, मुंबई.
2. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
3. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), हवाई माल परिसर, मुंबई
4. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
5. सभी उपायुक्त/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), हवाई माल परिसर, मुंबई
6. व्यापार संघ
7. CB संघ (BCBA)
8. MIAL/एयर इंडिया
9. EDI अनुभाग (वेबसाइट पर अद्यतन के लिए)
10. कार्यालय प्रतिलिपि